

## ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरमंगा

## अभिषद् की बैठक दिनांक 14.06.2019 का कार्यवृत्त

समयः 11:00 बजे उपस्थिति

स्थानः माननीय कुलपति महोदय का आवासीय समागार

1.	प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	_	अध्यक्ष	
2.	श्री संजय सरावगी	_	सदस्य	
3.	डॉ० विनोद कुमार चौधरी	_	सदस्य	
4.	डाँ० दिलीप कुमार चौधरी	_	सदस्य	
5.	डॉ0 हरि नारायण सिंह	_	सदस्य	
6.	श्रीमती मीना झा	-	गरमा	
7.	डॉ0 अमर कुमार	_	सदस्य	
8.	डॉ० डी० एन० पासवान	_	सदस्य	
9.	प्रो0 प्रीती झा	_	सदस्य	
10.	डॉ0 विजय मिश्रा	_	सदस्य	
11.	डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी	_	सदस्य	
12.	डॉ० अजीत कुमार चौधरी	_	सदस्य	
13.	मो० ए० हक	_	विषेष आमंत्रित सदस्य	
14.	श्री विनोद कुमार	_	विषेष आमंत्रित सदस्य	
15.	कर्नल निषीय कुमार राय, कुलसचिव		सचिव	
	<u>+                                    </u>		MIMM	

बैठक की शुरूआत में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय एवं सचिव द्वारा नव नियुक्त अभिषद् सदस्यों का पाग, चादर तथा पुष्प—माला से अभिनंदन किया गया। अध्यक्ष महोदय ने सभी माननीय सदस्यगणों को विश्वविद्यालय के विकास एवं रचनात्मक कार्य करने में सहयोग की अपेक्षा का आग्रह किया।

साथ ही, ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के वित्त पदाधिकारी श्री विनोद कुमार के स्थानान्तरण पर अभिषद द्वारा उन्हें पाग, चादर एवं पुष्प माला से सम्मानित किया गया। नव नियुक्त माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय के समेकित विकास, रचनात्मक कार्य नियम—परिनियम के माध्यम से सभी कार्यों में सहयोग करने का आश्वासन दिया। नव नियुक्त अभिषद सदस्यों में डाँ० दिलीप कुमार चौधरी, डाँ० विनोद कुमार चौधरी, डाँ० हिर नारायण सिंह एवं श्रीमती मीना झा शामिल है। डाँ० दिलीप कुमार चौधरी ने कहा की वे हर रचनात्मक एवं विकासात्मक कार्यों में सहयोग करेंगे। डाँ० हिर नारायण सिंह ने कहा कि प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली सिंडिकेट की बैठक करीब तीन माह बाद बुलाई गई है। बैठक में लिए गये निर्णय का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक की सूचना, एजेण्डा एवं ज्ञापिका बैठक की तिथि से पहले उपलब्ध करानी चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। यह विश्वविद्यालय की धारा 37 का उल्लंघन है। इस परिस्थित में बिना जानकारी के आयोजित बैठक का कोई औचित्य नहीं बनता है। डाँ० सिंह की बातों का समर्थन विधायक श्री संजय सरावगी, डाँ० दिलीप कुमार चौधरी, डाँ० विनोद कुमार चौधरी, श्रीमती मीना झा आदि ने भी किया।

श्री संजय सरावगी ने सदन को सूचित किया कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि आज अभिषद् की बैठक है। यह काफी दु:खद है। उन्होंने कहा कि एजेन्डा से संबंधित ज्ञापिका बैठक में दी जाती है, जो उचित नहीं है। होना ये चाहिए कि सारे कागजात बैठक से पहले सभी माननीय सदस्यों को भेज दिया जाय, तथा सभी माननीय सदस्य उसे पढ कर आये तथा विश्वविद्यालय के नियम परिनियमानुसार एक—एक एजेन्डें पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिया जाय। और ये बात मैं पिछली तीन—चार वैठकों सें बोलते आ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन भी दिया जाता रहा कि अगली बैठक से सारे कागजात पहले ही भेज दिया जायेगा, परन्तु आज तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा यह है कि अब बैठक की सूचना भी समाचार पत्रों के माध्यम से मिलता है। उन्होंने कहा कि पिछले बैठक में स्कूल गुरू से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जमा किया गया तथा निर्णय लिया गया था कि सभी माननीय सदस्यगण उक्त जाँच प्रतिवेदन को पढ़ कर अगली बैठक में इसपर विस्तार से चर्चा कर निर्णय ले, उसे मद सं० 01 में रखा जाना चांहिए, परन्तु यह एजेन्डा में है ही नही। जिस पर कुलसचिव ने सूचित किया कि अतिरिक्त मद में एजेन्डा है। श्री सरावगी ने प्रस्ताव रखा कि चूँकि बैठक से संबंधित कागजात अभी मिला है, अतः इस बैठक को तीन—चार दिनों के बाद बुलाई जाय, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि 07 से 12 जून, 2019 तक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, जिसके कारण विश्वविद्यालय कार्य बाधित रहा। इसी वजह से ऐसी स्थिति आई। माननीय सदस्य डाँ० दिलीप कुमार चौधरी एवं डाँ० विनोद कुमार चौधरी ने प्रस्ताव रखा कि अत्यावश्यक एजेन्डों पर बात कि जाय, बाँकि अगली बैठक में रखा जाएगा।

पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा समझाने पर सदस्यों ने मुख्य कार्यसूची में से दो मदों क्रमशः मद सं० 14 (हिन्दी विषय में अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों को स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर पूर्णतः अस्थायी रूप से नियोजन करने हेतु विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा किये गये अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार) तथा मद सं० 15 (परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2018, 25.01.2019, 06.02.2019, 09.02.2019, 22.02.2019, 06.04.2019, 03.05.2019 एवं 15. 05.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार) को सर्वसम्मित से अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची के शेष सभी मदों को अभिषद की आगामी बैठक में उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

अनुमोदित।

ह0 / — (कर्नल निशीथ कुमार राय) कुलसचिव—सह—सचिव ह0 / – प्रोo सुरेन्द्र कुमार सिंह कुलपति–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांक:- LB-507/19 प्रतिलिप प्रेषित:- दिनांक:- 14-6-2019 -

- 1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
- 2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
- 3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
- 4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
- 5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
- 6. सभी पदाधिकारी / कुलपित के सचिव / प्रति-कुलपित / वित्तीय परामर्शी / कुलसचिव के निजी सहायक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

14/6/1

कुलसचिव

Fall 21/4-6-19